

दिनांक : 10.07.2017

सेवा में

The District Magistrate / Deputy Commissioner
Ludhiana

विषय: गैर-कानूनी तरीके से Paytm से पैसे निकालने की शिकायत दिये एक माह होने के बाद भी कार्यवाही ना करने और उस मामले में whistle बजाते हुये पर्चियाँ बाँटने के मामले में एक दिन में ही whistle blower व पीडित पर F.I.R. दर्ज करके जेल भेजने की शिकायत के मामले में विशेष जाँच टीम के द्वारा मामले की जाँच करवाते हुये भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों व आरोपियों के खिलाफ F.I.R. दर्ज करने हेतु।

महोदय,

मैं मुकेश ठाकुर पुत्र स्व. इंद्रकांत ठाकुर (निवासी: मकान नंबर 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना, पंजाब - 141007) हूँ, मैं 'भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान' (NGO) का सचिव हूँ साथ ही 'लुधियाना सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस' (NGO) और 'जज एडवोकेट पीडित ऑर्गेनायजेशन' (NGO) का उपाध्यक्ष भी हूँ।

हमारा संगठन भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की शिकायत पर पीडितों के इन्साफ के लिये कार्य करता है। पुलिस या सरकारी अधिकारियों के द्वारा सबूतों के साथ शिकायत देने के बावजूद कार्यवाही ना करने पर हम whistle बजाने के ही समान, मामले में लिप्त भ्रष्ट अधिकारियों व आरोपियों की पर्चियाँ बाँट कर सोये हुये अधिकारियों व जनता को जगाने का काम करते हैं जिससे पीडित को इन्साफ मिल सके। कई ऐसे कार्य हमने किये हैं और उन मामलों में F.I.R. भी दर्ज करवाई है, जैसे:-

- जुलेखा जगमग, मुंबई के मामले में पर्चियाँ बाँटी और F.I.R. No. 1/2016 दिनांक 27.02.2016 को दर्ज करवाई गई।
- नासिक मर्डर मामले में पर्चियाँ बाँटी व F.I.R. दर्ज करवाई।
- गुजरात से मुंबई ट्रेन से आ रही महिला का पर्स चोरी मामले में पर्चियाँ बाँटी और F.I.R. No. 44/16 दिनांक 04.03.2016 दर्ज करवा कर चोर को पकड़वाया गया।
- भू-माफिया कमल बस्सी, लुधियाना के मामले में पर्चियाँ बाँटी और F.I.R. No. 0113/2016 दिनांक 02.07.2016 दर्ज करवाई गई।

- e. नाबालिक लड़की के अपहरण (लुधियाना) के मामले में, पर्चियाँ बाँटी और F.I.R. No. 107/2014 दिनांक 10.04.2014 दर्ज करवाई व मौहल्ले के नामी बदमाश व ठगबाज को मौहल्ला व लुधियाना छोड़ने पर मजबूर किया।

ऐसे कई मामले संगठन द्वारा अंजाम दिये गये हैं।

संगठन कोशिश करता है कि, 'अपराध पर रोक लगे ना कि अपराधी खत्म हो' इसलिये संगठन मजबूरी में व पहली बार किये गये अपराध के मामले में अपराधी से स्टैम्प पेपर पर माफीनामा लिखवाकर अपराध को रोकने की प्राथमिकता पर ध्यान देता है जैसे उदाहरण के नाम पर यह दो माफीनामा देखिये:-

- a. मौहल्ले में दहशत फैलाने के लिये की गई गुंडागर्दी व तोड़फोड़ के मामले में लिया गया माफीनामा
- b. ससुर की प्रताड़ना से अपंग हुई बहु के मामले में लिखवाया गया माफीनामा व आजीवन देखभाल का राजीनामा
- c. घरेलू हिंसा मामले में पति द्वारा लिखवाया गया सुलहनामा

हमारे पास पीड़ित लकी उर्फ जय हिंद का मामला आया जिसके अनुसार 'मोदी के कैशलैस भारत के सपनों को अंगूठा दिखाते हुये' पीड़ित के Paytm खाते से गैर-कानूनी तरीके से पैसे निकाले गये थे जिसकी शिकायत सबूतों के साथ करने के बावजूद पुलिस द्वारा एक महीना बीत जाने के बाद भी ना तो F.I.R. दर्ज की गई और ना ही कोई कार्यवाही की गई मगर हमारे संगठन के सहयोग से आरोपी चिन्हित हो गया था। जब आरोपी अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की (निवासी: मकान नंबर 14047, गली नंबर 2, मोहल्ला राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना मोब. 99888 - 50660) से सबूतों के साथ बात की गई तो उसका भाई सुखदेव सिंह मोब. 98888-80660/98888-99908 (जो खुराक, सिविल सपलाईज और खपतकार मामले विभाग में बटाला, जिला - गुरदासपुर में कर्मचारी है) धमकियाँ देने लगा जिसका पूरा ब्योरा मेरे द्वारा जेल में रहते हुये भेजी गई शिकायत के साथ-साथ संगठन द्वारा दिनांक 13.06.2017 को भेजी गई शिकायत में दर्ज है। हमारे द्वारा एक ही बात आरोपी से कही गई थी कि, अगर आपने किसी अन्य के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की होगी तो हम इस मामले को हमारे संगठन के प्रारूप के अनुसार माफीनामा बनाते हुये यहीं खत्म कर देंगे।

मगर इसके लिये आपको अपराधी का बैंक स्टेटमेंट हमें दिखाना होगा जिसके लिये आरोपी का भाई सुखदेव सिंह राजी तो हुआ मगर धमकी देते हुये उसके द्वारा कहा गया कि, "मैं कमिश्नर के साथ बैठकर दारू पीता हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपको 40,000/- रु. हजार दूँगा और बैंक स्टेटमेंट भी दूँगा" जिसके बाद उसके द्वारा 20,000/- रु. देते हुये पंजाबी में सिर्फ ध्यान रखने भर के लिये कच्ची लिखापट्टी की और बाद में बैंक स्टेटमेंट देते हुये स्टैम्प पेपर पर राजीनामा बनायेंगे, ऐसा कह कर चले गये। जब काफी दिन बीतने

के बाद भी आरोपी नहीं आये तो यह निश्चित हो गया कि, आरोपियों ने झूठ बोला है (नोट: यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित व संगठन के किसी भी सदस्य की तरफ से आरोपियों को कोई भी फोन नहीं किया गया) और उसने अन्य लोगों के साथ भी धोखाधड़ी की है जिसे छुपाना उनका मकसद है जिसके बाद हमारे द्वारा पर्चियाँ बाँटी गईं और सभी संबंधित विभागों में शिकायतें भेजी गईं।

पुलिसिया भ्रष्टाचार की वजह से हमारे द्वारा सबूत के साथ दी गई शिकायत पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई जबकि आरोपियों द्वारा दी गई फर्जी शिकायत पर बिना जाँच पड़ताल किये डिविजन नं. 1 (कोतवाली) पुलिस थाना में मामला दर्ज करके हमें रातभर हवालात में रखा गया और दूसरे दिन टिब्बा चौकी में हम पर बिना जाँच-पड़ताल किये फिर से नई F.I.R. दर्ज कर दी गई।

नोट : 1. यह सुनिश्चित करें कि इतना सब हो जाने के बावजूद आरोपी व आरोपी के भाई द्वारा Paytm के द्वारा की गई धोखाधड़ी के मामले का कहीं भी जिक्र नहीं किया जा रहा है और ना ही बैंक स्टेटमेंट के बारे में एक शब्द भी किसी भी आरोपी व भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के द्वारा लिये गये बयानों में लिखा जा रहा है, जो साफ-साफ बता रहा है कि यह मामला बहुत ही बड़ा है और कई लोगों के साथ Paytm के द्वारा आरोपी ने धोखाधड़ी की है।

2. आरोपियों के खिलाफ पर्चियाँ बाँटे जाने के खिलाफ आरोपी द्वारा धमकी दी गई थी कि, "हमें अगर एक करोड़ रु. भी खर्च करना पड़े तो भी हम करेंगे मगर मुकेश ठाकुर और लकी उर्फ जय हिंद को बर्बाद करके रहेंगे और इसके लिये हम लड़की का इस्तेमाल करके भी इनपर कई F.I.R. दर्ज करवायेंगे"। आज भी आरोपी, मौहल्ले में धमकी देते हुये घूम रहे हैं कि, "अभी तो दो F.I.R. ही दर्ज करवाई है, कई और बाकी है"

मैं चाहता हूँ कि, विशेष जाँच दल बनाकर इस मामले की जाँच की जाये जिससे आरोपियों के द्वारा किये गये अपराधों के साथ-साथ उसके फूड इंस्पेक्टर भाई के भ्रष्टाचार का खुलासा हो सके और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके।

मैं और पीड़ित लकी उर्फ जय हिंद सच्चाई को सामने लाने के लिये अपना नार्को टेस्ट करवाने के लिये तैयार हूँ। इस मामले में तुरंत कुछ कदम उठाये जाने आवश्यक हैं, जैसे:-

1. हम लोगों को गैर-कानूनी तरीके से हथकड़ी पहनाकर A.S.I. स्वर्ण सिंह (P.S. बस्ती जोधवाल, लुधियाना) द्वारा मौहल्ले में घुमाया गया था और बिना पंचनामा किये पीड़ित लकी उर्फ जय हिंद के कार्यालय/क्लिनिक से 'प्रिंटर, CCTV कैमरा व DVR साथ ही Paytm की वह असली रसीदें जो आरोपियों को अपराधी साबित करने के लिये महत्वपूर्ण सबूत हैं' लिये गये, जिसे तुरंत रिकॉर्ड पर लेकर जन्त किया जाये जिससे CCTV फुटेज से रिकॉर्ड data Delete ना किया जा सके क्योंकि हथकड़ी पहना कर मौहल्ले में घुमाये जाने की वीडियो

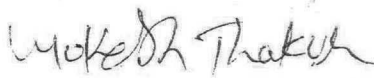
क्लिप उसमें मौजूद है जिसे A.S.I. स्वर्ण सिंह अपने आप को बचाने के लिये Delete कर सकता है कि कहीं वह फँस ना जाए।

2. इसके अलावा Paytm द्वारा धोखाधड़ी करने वाले आरोपी के घर में भी CCTV कैमरा लगा है जो आने-जाने के रास्ते पर नजर रखे हुये है। उसमें भी 24.06.2017 की शाम जब हमें 'हथकड़ी पहना कर घुमाया गया था' की वीडियो क्लिप अवश्य होगी साथ ही जैन कंपनी के कैमरे में भी यह क्लिप अवश्य मिलेगी।
3. डिविजन नं. 1 (कोतवाली) पुलिस थाना में की गई झूठी शिकायत के अनुसार घटनावाली जगह पर मौजूद CCTV कैमरे की वीडियो फुटेज जब्त की जाये जिससे शिकायतकर्ता व पीड़ित की सच्चाई सामने आये।
4. डिविजन नं. 1 (कोतवाली) पुलिस थाना में दर्ज झूठी शिकायत के घटना के समय की शिकायतकर्ता व पीड़ित के मोबाईल की लोकेशन भी ली जाये।

आशा है, विशेष जाँच दल (SIT) गठित करके इस मामले की जाँच करवाई जायेगी और मोदी व कैथलेम सपनों के भारत पर कुठाराघात करने वाले अपराधियों व भ्रष्टाचार करनेवाले अधिकारियों की मिलीभगत का खुलासा किया जायेगा।

उम्मीद है, whistle blower जैसे हजारों क्रांतिकारियों की आवाज को दवाने वाले इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही अवश्य होगी।

धन्यवाद!



मुकेश ठाकुर

भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान

www.bvbja.com

संलग्न दस्तावेज़:

क्र.	विवरण	पेज नं.
1.	जुलैखा जगमग, मुंबई के मामले में पर्चियाँ बाँटी और F.I.R. No. 1/2016 दिनांक 27.02.2016 को दर्ज करवाई गई।	1 - 4
2.	नामिक मर्डर मामले में पर्चियाँ बाँटी व F.I.R. दर्ज करवाई।	5 - 5
3.	गुजरात से मुंबई ट्रेन से आ रही महिला का पर्म चोरी मामले में पर्चियाँ बाँटी और F.I.R.	6 - 6

	No. 44/16 दिनांक 04.03.2016 दर्ज करवा कर चोर को पकड़वाया गया।	
4.	भू-माफिया कमल बस्ती, लुधियाना के मामले में पर्चियाँ बाँटी और F.I.R. No. 0113/2016 दिनांक 02.07.2016 दर्ज करवाई गई।	8 – 14
5.	नाबालिक लड़की के अपहरण (लुधियाना) के मामले में, पर्चियाँ बाँटी और F.I.R. No. 107/2014 दिनांक 10.04.2014 दर्ज करवाई व मौहल्ले के नामी बदमाश व ठगबाज को मौहल्ला व लुधियाना छोड़ने पर मजबूर किया।	15 – 17
6.	मौहल्ले में दहशत फैलाने के लिये की गई गुंडागर्दी व तोड़फोड़ के मामले में लिया गया माफीनामा	18 - 20
7.	ससुर की प्रताड़ना से अपंग हुई बहु के मामले में लिखवाया गया माफीनामा व आजीवन देखभाल का राजीनामा	21 - 24
8.	घरेलू हिंसा मामले में पति द्वारा लिखवाया गया सुलहनामा	25 - 27
9.	मेरे द्वारा कलम 190/200 फौजदारी प्रक्रिया कोड के तहत की गई फरियाद	28 – 35
10.	दिनांक : 03.07.2017 को पुलिस अधिकारी द्वारा दबंगों के साथ मिलकर झूठी F.I.R. के पीड़ितों को हथकड़ी पहनाकर मौहल्ले में घुमाने के मामले में मानवाधिकार के हनन के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु।	36 - 37
11.	'लुधियाना सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस' संगठन की तरफ से लुधियाना पुलिस कमिश्नर और थाना-प्रभारी को भेजी गई शिकायत	38 - 40
12.	पीड़ित द्वारा दि. 3/5/2017 को ए.सी.पी. ऑफिस में दी गई शिकायत नं. 1088928 (559 - 5c)	41 - 41
13.	पीड़ित द्वारा दि. 22/05/2017 को पुलिस कमिश्नर, लुधियाना को दी गई शिकायत नं. 114070	42 - 42
14.	संगठन 'भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान' द्वारा पीड़ित के मामले में भेजे गये शिकायत - पत्र	43 – 48
15.	पीड़ित का शपथ - पत्र	49 – 52
16.	पीड़ित द्वारा 'Paytm' के नोयडा ऑफिस से ली गई जानकारी का दस्तावेज़	53 – 53
17.	पीड़ित द्वारा 'बैंक ऑफ बडौदा' ऑफिस से ली गई जानकारी का दस्तावेज़	54 – 54
18.	पीड़ित के 'Paytm' खाते से आरोपी द्वारा रकम लूट लिये जाने का 'Snapshot	55 - 56
19.	सायबर क्राइम को ईमेल से भेजी गई शिकायत की 'Snapshot'	57 – 57
20.	आरोपियों के द्वारा स्टैम्प पेपर पर बनाये जाने वाले राजीनामा से पहले दी गई रकम की पंजाबी में बनाई गई कच्ची लिखा - पढ़ी	58 – 58
21.	आरोपियों (अमृतपाल सिंह और सुखदेव सिंह) की बहन [REDACTED] कौर द्वारा पीड़ित पर झूठा आरोप लगाकर डिविजन नं. 1 में दर्ज की गई F.I.R. की कॉपी व मैडिको लीगल रिपोर्ट	59 - 70
22.	आरोपियों (अमृतपाल सिंह और सुखदेव सिंह) की तरफ से बस्ती जोधवाल में झूठा आरोप लगाकर दर्ज की गई F.I.R. No. 236/2017 की कॉपी	71 - 76
23.	आरोपियों के खिलाफ उठाये गये मामले पर आरोपियों के बिगडैल व आवारा दोस्तों द्वारा अभद्र भाषा में फेसबुक पोस्ट पर की गई टिप्पणी का 'Snapshot'	77 - 79